अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग
GRANT No. 88 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
प्रभारित–	*Charged-*	*10,01,00*	*9,47,23*	*-53,77*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*53,77*
स्वीकृत–	Voted-	5137,22,00	3711,93,24	-1425,28,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1418,04,64
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	1,01,00	87,03	-13,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			13,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः –

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	37042.00	33681.52	33293.40	-388.12
पु.	R.	-3360.48			
मुख्य शीर्ष "2506" भूमि सुधार	Major Head "2506" Land Reforms				
मू.	O.	12690.00	14039.73	13704.71	-335.02
पु.	R.	1349.73			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	26411.00		..	..	..
पु.	R.	-26411.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	424356.00		312382.89	312382.89	..
पु.	R.	-111973.11				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	10800.00		9447.00	9447.00	..
पु.	R.	-1353.00				

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹26911.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹26411.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹26911.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹26411.00 lakhs accounted for under the Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास

(A) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri

घटक"– ₹12501.00 लाख;

(खा) "भूमि सुधार – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" – ₹1410.00 लाख; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक" – ₹12500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2501" – "बंजर भूमि विकास" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम"–

(क) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक" – ₹781.20 लाख की बचत (₹1357.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप" – ₹1147.97 लाख की बचत (₹2063.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन हेतु वाटरशेडों के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना"– ₹1235.43 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component" - ₹12501.00 lakhs;

(B) "Land Reforms - Other Expenditure - Digital India Land Records Modernization Programme" - ₹1410.00 lakhs; and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component" - ₹12500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part fund/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2501" - "Waste Land Development" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Waste Land Development Programme" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component" - saving of ₹781.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1357.00 lakhs);

(b) "Professional Support and Other Activities" - saving of ₹1147.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2063.00 lakhs);

(c) "World Bank Assisted Project for Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development" - saving of ₹1235.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)" – ₹584.00 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचत उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2506" – "निदेशन और प्रशासन – डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1300.57 लाख की बचत (₹2705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम" – ₹88912.36 लाख की बचत (₹159569.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)" – ₹23982.18 लाख की बचत (₹40608.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक" के अंतर्गत ₹993.00 लाख की बचत (₹3930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component (WDC)" - saving of ₹584.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2506" - "Direction and Administration - Digital India Land Records Modernization Programme" - saving of ₹1300.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2705.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from states and requirement of less funds towards social media activities.

(IV) Under Major head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Integrated Watershed Development Programme" - saving of ₹88912.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹159569.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from states and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component (WDC)" - saving of ₹23982.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40608.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana -Watershed Development Component" - saving of ₹993.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3930.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:—

(I) मुख्य शीर्ष "2506" — "भूमि अभिलेखों का रखरखाव — डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" — ₹2910.00 लाख का अधिक व्यय (₹5634.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" — "केन्द्र प्रायोजित योजना — जनजातीय क्षेत्र उप—योजना — प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹921.43 लाख का अधिक व्यय (₹12001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

Savings under above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2506" - "Maintenance of Land Records - Digital India Land Records Modernisation Programme" - excess of ₹2910.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5634.00 lakhs) was due to requirement of more funds by the state/UTs being the scheme being demand driven.

(II) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Integrated Watershed Development Programme" excess of ₹921.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12001.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.